

कार्यालय निदेशक, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी।

सम्पर्क सूत्र-0510 298013,9027842700
वेबसाइट-<https://www.mlbpmcj.com>

द्वितीय विज्ञापन

सेवायोजन विज्ञापित

पत्रांक:- 265/स्थापना/ पैरामेडि0/2025-26

दिनांक 24/06/2025

महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी में संचालित नर्सिंग कालेज, में निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्त किये जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक-इन-इन्टरव्यू) उपरान्त चयन की कार्यवाही की जानी है। चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया दिनांक 11.07.2025 को 02 बजे से प्रशासनिक भवन/अयोध्या भवन के समिति कक्ष में सम्पन्न करायी जायेगी। उक्त पदों के लिये आयु, मानदेय आदि का विवरण निम्नवत् है-

रिक्त पदों का विवरण

MLB Govt. Paramedical Training College Jhansi. (Nursing Dept.)	Age Limit (01.07.2025 तक) Maximum 68 Years	Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
		-	-	01	-	-	-	01	-
Total		-	-	01	-	-	-	01	-

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

शैक्षणिक अर्हता/अनुभव-

S.N.	Post Name	Qualification & Experience
1	Associate Professor	M.Sc. Nursing Total 8 Year Experience With M.Sc. Nursing Including 5 Year Teaching Experience. Ph.D (Nursing) is desirable
2	Assistant Professor	M.Sc. Nursing Total 3 Year Teaching Experience. Ph.D (Nursing) is desirable

आवेदन शुल्क-अभ्यर्थियों को रु0 500/- आवेदन शुल्क डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा, जो निदेशक, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट <https://www.mlbpmcj.com> पर उपलब्ध है

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या 57/2022/1/156557/71-1005(001)/20/2021 दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस, एवं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किए जायेंगे।
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकगण एसोसिएट प्रोफेसर को रु0 80000/-, असिस्टेंट प्रोफेसर को रु0 70000/- का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
- नर्सिंग शिक्षकों की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्यदिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।



7. संविदा कर्मियों का आकस्मिक अवकाश/ चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।
8. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा सेवार्य अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
9. नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष को होगा। 01 वर्ष की संतोष जनक सेवा के पश्चात्, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. संविदा पर नियुक्ति नर्सिंग शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
12. संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
13. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
14. एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर "Walk-In-Interview" के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
15. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित छायाप्रति (Self Attested) एवं फोटो अवश्य लाये।
16. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
17. सरकार/आई0एन0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
18. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 के पश्चात् का ही मान्य होगा।
19. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उ0प्र0 सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आकाल अनुमन्य होगा।
20. संविदा पर कार्यरत शिक्षक भविष्य में विनियमिती करण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
21. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचालित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवार्य समाप्त कर दी जायेगी।
22. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सम्बधित विशिष्टता हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाणपत्र दिनांक 05/07/2025 की साय 5 वजे तक कालेज की ई-मेल Directormlbpmjhansi@gmail.com एवं आवेदन की हार्ड कापी दोनों को कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथी व समय के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक

म0ल0बा0 राजकीय पैरामेडिकल
ट्रेनिंग कालेज झाँसी।

पत्रांक:- 265/स्थापना/ पैरामेडि0/2025-26

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोटिस बोर्ड, म0ल0बा0 राजकीय पैरामेडिकल लट्रेनिंग कालेज झाँसी।
4. वेबसाइट, म0ल0बा0 राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी


निदेशक

म0ल0बा0 राजकीय पैरामेडिकल
ट्रेनिंग कालेज झाँसी।

